दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 14 सितंबर, 2021 को पूर्वाहन 11:45 बजे विडियो कॉन्फरेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

उप राज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह

   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री कामरान रिजवी

   अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

3. श्रीमति अर्चना अग्रवाल

   सदस्य सचिव, एन. सी. आर. प्लानिंग बोर्ड

4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, एम.एल.ए.
5. श्री सोमनाथ भारती, एम.एल.ए.
6. श्री ओ. पी. शर्मा, एम.एल.ए
7. श्री आदे"ा कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, एन.डी.एम.सी.
8. श्री कैला"ा सांकला, निगम पार्षद, एस.डी.एम.सी.

सचिव

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>वि”ोश आमंत्रित</u>

1. श्रीमती रेनू शर्मा

   अपर मुख्य सचिव (यू. डी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

   सदस्य (प्र”ाासन एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.

3. डॉ राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू–दृ”यांकन, आवास एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.

4. श्री ज्ञाने”ा भारती

   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

5. श्री संजय गोयल

   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

6. श्री विकास आनंद

   आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>उप–राज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंडेला

   उप राज्यपाल के सचिव

2. श्रीमती साक्षी मित्तल

   उप राज्यपाल के वि”ोष सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर

   उप राज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों, वि”ोष आमंत्रित और वरिष्ठ आधिकारियों का स्वागत किया ।

<u>मद सं. 76/2021</u>

दिनांक 10.08.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुश्टि

एफ 2(8)2021/एम.सी./दि.वि.प्रा.

श्री सोमनाथ भारत ने यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा उठाए गए 'अन्य मुददों' के पैरा

(ix) के लिए कार्यवृत्त में कथित गौतम नगर स्थित एक पार्क में "भूमिगत पार्किंग बनाई जाए" को गौतम नगर स्थित सेंट्रल पार्क में "भूमिगत पार्किंग बनाई जाए" पढा जाए ।

उपरोक्त की प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में शामिल करने के बाद पुष्टि की गयी ।

<u>मद सं. 77/2021</u>

दिनांक 10.8.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की कार्रवाई रिपोर्ट

एफ 2(8)2021/एम.सी./डी.डी.ए/पार्ट

दिनांक 10.8.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट की गई :

<u>श्री विजेन्द्र गुप्ता</u>

i) पी.एम.–उदय स्कीम के अतंर्गत, संपत्ति के वर्तमान के उपयोग का विचार किए बिना, हस्तांतरण विलेख अथवा अनुज्ञप्ति–पर्ची केवल आवासीय उद्दे"य के लिए ही जारी की जाएगी । सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न टिप्पणियाँ जैसे इमारतें बंद की जा रही हैं और मामले रद्द किए जाने हैं। दि.वि.प्रा. को पी.एम–उदय स्कीम के अंतर्गत प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए ।

ii) विभिन्न कॉलोनियों के भागो के निवासी पी.एम.–उदय के अंतर्गत पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये क्षेत्र प्रस्तावित मुख्य योजना सड़कों की सीध में हैं । हालांकि, इन सड़कों का निर्माण व्यवहार्य नहीं है और वैकल्पिक सड़कें पहले ही बनायी जा चुकी है ।

श्री सोमनाथ भारती ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया ।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i) यदि एम.पी.डी.–2021 के मानदंडो के अनुसार जंगपुरा स्थित डी.जे.बी. भूमि का क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए अपर्याप्त है तो इसे माध्यमिक विद्यालय को आबंटित किया जाए ।

ii) फेथ अकेडमी द्वारा दि.वि.प्रा. भूमि पर अतिक्रमण को हटाने से संबंधित मामले के निर्णय को प्राथमिकता से लिया जाए ।

iii) गौतम नगर स्थित चार मंजिला अनधिकृत इमारत को गिराने की कार्रवाई के लिए उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा. का धन्यवाद किया । खसरा सं. 113, मस्जिद मोठ गाँव के संबंध में स्थगन–आदे"ाों को निरस्त कराने के प्रयत्न किए जाएं ।

iv) खसरा सं. 277, हौज खास गाँव के संबंध में स्थगन–आदे"ाों को निरस्त कराने के प्रयत्न तुरंत किए जाएँ ।

v) चूंकि स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अब अपनी मांगे भेज दी हैं, अतः विकास पुरी स्थित अस्पताल के लिए भूमि आंबटन को शीघ्र निपटाया जाए ।

vi) गौतम नगर स्थित खाली प्लॉट को एक सामुदायिक भवन और अन्य जन सुविधाओं के लिए आबंटित किया जाए तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए ।

<u>श्री ओ. पी. शर्मा</u>

i) सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे करने वाले व्यक्ति पी.एम.–उदय के अंतर्गत लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं ।

ii) सभी समाप्त पट्टों के नवीनीकरण की नीति को शीघ्र निपटाया जाए ।

iii) कड़कड़डूमा कोर्ट के समीप स्थल को एम.एल.सी.पी. के लिए ई.डी.एम.सी. को आबंटित करने के बजाय दि.वि.प्रा. को एम.एल.सी.पी.का निर्माण करना चाहिए ।

iv) 3 एकड़ से कम के विस्तार वाले पार्कों को नगर निगमों को सौंपे जाने की नीति पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि नगर निगम के पास इनका रखरखाव करने के संसाधन नहीं हैं ।

v) दिल्ली में वाहन–प्रदूषण के अत्यन्त बढ़ते स्तर का ध्यान रखते हुए सी.एन.जी.स्टे"ान स्थलों के आबंटन को शीघ्र निपटाया जाए ।

<u>मद सं. 78/2021</u>

ईदगाह रोड़, जोन–ए (चार दीवारी भाहरी क्षेत्र के अलावा) स्थित मल्टीलेवल कार पार्किंग के लिए भूमि उपयोग का "आवासीय (पुनर्विकास)" से "यातायात (एम.एल.सी.पी.), में परिवर्तन का प्रस्ताव ।

एफ 3(61)/2011–एम.पी./पार्ट–1

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया ।

मद सं. 79/2021

नई दिल्ली रेलवे स्टे"ान, नई दिल्ली के पास सी.आर.पी.एफ. के लिए ट्रासिंट कैम्प के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय को आंबटित की गई 1.94 एकड़ (7850.90 वर्ग मी.) क्षेत्रफल की भूमि उपयोग का "मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)" से "सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएँ" (पुलिस कैम्प) में पस्वावित परिवर्तन ।

एफ 20(07)2017/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया ।

मद सं. 80/2021

"उप/खण्ड 8(2) उपयोग जोन में उपयोग परिसरों की अनुमति (ले आउट योजना के अनुमोदन के भाग अथवा प्राधिकरण से प्राप्त वि"ोश अनुमति के मामले में)" के अंतर्गत भाालीमार बाग, ब्लॉक–सी एवं डी स्थित फैस्लिटी केंद्र सं. 50 के परिसर के भाग के भूमि उपयोग का "लोकल भाोपिंग केंद्र (एल.एस.सी.)"एवं "समूह आवास (जी.एच.)/सर्विस अर्पाटमेंट" में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव ।

एफ प्लानिंग/एम.पी./0060/2021/एफ–3/–ए.डी. (प्ला.–जोन एच (पार्ट)ए.पी.–I

एजेंडा मद में शमिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद सं. 81/2021

डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्मस के अनुसार सेक्टर –19 (I), द्वारका में " अन्तर्राश्ट्रीय खेल परिसर" के लिए "खेल परिसर" के रूप में निर्धारित प्लॉट की नांमवली में आ"ोधन ।

एफ. इंजी./सी.ई.एस.पी./0003/2021/एफः 1/द्वारका/कम्प्यूटर सं. 14274

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । प्राधिकरण के माननीय सदस्यों के साथ निजी ईकाइयों से बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए जारी किए जाने वाले प्रस्ताव के अनुमोदन (आर.एफ.पी.) में समाविष्ठ की जाने वाली शर्तों पर विचार लेने के लिए एक पृथ्क बैठक आयोजित की जाएगी ।

मद सं. 82/2021

माननीय सांसदों (लोक सभा) के लिए मल्टी–स्टोरी फ्लैटों के निर्माण हेतु जोन–डी की जोनल विकास योजना में पुनर्विकास क्षेत्र के अंतर्गत जी.पी.ओ., नई दिल्ली के समीप स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग और पं. पंत मार्ग पर (4.15 हेक्टेयर माप क्षेत्र) मल्टी–स्टोरी फ्लैटों को भाामिल करना ।

एफ. 16 (01)2021/एम.पी.

एजेंडा मद में लिखित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । आपत्ति /सुझाव आमंत्रित करने के लिए दि. वि. अधिनियम, 1957 की धारा 11 "क" के अंतर्गत जन सूचना जारी की जाए ।

मद सं. 83/2021

दिल्ली मुख्य योजना–2041 के लिए जाँच और सुनवाई बोर्ड के गठन के लिए एजेंडा तैयार करना ।

एफ योजना/एम.पी./0008/2021/एफ. 18

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । मामला अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया ।

मद सं. 84/2021

"दि.वि.प्रा. फ्लैटों के परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति और नियमितिकरण के लिए बनी नीति एवं प्रक्रिया" में सं"ाोधन हेतु एजेंडा ।

एफ 1/0177/2021/कोर्ड/आवासन (समन्वय)

श्री आदे"ा कुमार गुप्ता ने इस प्रस्ताव द्वारा लाभांवित होने वाले कुछ मकान मालिकों का मामला उठाया । निम्नलिखित को प्रस्ताव में समाविष्ट करने की सहमति दी गई :

1) ई.वी. चार्जिंग के लिए प्रावधान करने की सुविधा किया जाना चाहिए ।

11) दि.वि.प्रा. फ्लैटों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाए ।

यथा सं"ाोधित पस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद सं. 85/2021

दो परियोजनों के जे.जे. निवासियों को निर्मित ई.डब्ल्यू. एस.फ्लैट में पुनर्स्थापित करने की अनुमति ।

एफ 2/पी.एम.ए.वाई/0015/2021/आई.एस.आर./पी.एम.ए.वाई– ii

अपर मुख्य सचिव (यू. डी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया कि उन्हें आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से भालस्वा के.फ्लैटों को दि.वि.प्रा. को हस्तांतरण करने की अनुमति को खारिज करने का उत्तर मिला है । उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि दि.वि.प्रा., आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से इस बारे में चर्चा करेगा और हर हालत में इस प्रस्ताव में निवासियों को नरेला

स्थित ई.डब्ल्यू. एस..फ्लैटों में पुनः स्थापन करने को विकल्प को शामिल कराना है तद्नुसार, एजेंडा में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

<u>मद सं. 86/2021</u>

भूमिहीन कैम्प, कालका जी एक्सटें"ान के पात्र जे.जे.निवासियों के लिए ए–14, कालका जी एक्सटें"ान में निर्मित ई.डब्ल्यू. एस. मकानों के आबंटन की अनुमति के संबंध में ।

एफ 2(15)2017/पी.एम.ए.वाई

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

<u>मद सं. 87/2021</u>

दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अध्याय 19.0 के एक आ"ोधन के रूप में भूमि नीति 2018 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विकास नियंत्रण मानदंडों के संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना–2021 में आ"ोधन ।

एफ योजना/एम.पी./0015/2020/एफ–20/

प्रस्ताव पर विचार किया गया और यह सिफारि"ा की गयी कि पैरा 19.5 क्रम सं. 1v.a .ए को "दि.वि.प्रा. संबंधित गाँव/सैक्टर की किसी भी आव"यकताओं अंतरो के विकास सहित जन उद्दे"य को पूरा करने के लिए भवन के विभिन्न उपयोगों के लिए मानक दि.मु.यो. मानदण्डों के अनुसार ऐसी भूमि का विकास कर सकता है तथा इसे पूल्ड भूमि का हिस्सा नहीं माना जाएगा ।" पढ़ा जाए ।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव उपर्युक्त परिवर्तन के साथ अनुमोदित किया गया । अनुमोदित प्रस्ताव की विधिक रूप से जांच की जाए और इसे विचार करने हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने से पूर्व तथा डी.डी. अधिनियम के अनुभाग 11 (क) के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व ड्राफ्टिंग में आ"ोधन तथा आव"यक परिणामी परिवर्तन किए जाएं ।

<u>प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गई "अन्य मुददें"</u>

<u>श्री विजेन्द्र गुप्ता</u>

1) जैसा कि आवासन स्कीम में प्रस्तावित बडी संख्या में दि.वि.प्रा. के एम.आई.जी.फ्लैटों को सौंपा गया है, इन .फ्लैटों की लागत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और एम.आई.जी. .फ्लैटों पर अधिभार ना वसूल किया जाए ।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

1) दि.वि.प्रा. को सांकेत स्थित मैक्स अस्पताल हेतु भूमि के आबंटन के नियम और शर्तो की समीक्षा करनी चाहिए ।

11) सभी ग्राम सभा भूमि दि.वि.प्रा. को सौंपा जा चुकी हैं । ग्राम सभा पर अतिक्रमण करने वाले पी.एम.–उदय के अंतर्गत अवैध रूप से पंजीकरण कर रहे हैं ।

iii) नवजीवन विहार स्थित बस्ती निवासियों का पुनः स्थापन किया जाए ।

iv) बेगमपुर स्थित भूमि के संबंध में स्थगन आदे"ा को हटाने का कार्य शीघ्र किया जाए ।

v) गोविंद पुरी से हरके"ा नगर मेट्रो स्टे"ान तक की सड़क निर्माण के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के प्रस्ताव हेतु अनापत्ति –पत्र शीध्र ही दिया जाए ।

vi) सहकारी आवास भवन समिति द्वारा गुलमोहर पार्क स्थित सामुदायिक भवन के विकास हेतु निवेदन किया गया है । इसलिए, एम.एल.ए.एल.ए.डी. निधि से सुविधा के विकास हेतु सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अनापत्ति–पत्र जारी किया जाए ।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i) वि"वास नगर स्थित 40 फीट मार्गाधिकार और शांति स्वरूप भटनागर मार्ग के झुग्गी निवासियों को नरेला स्थित दि.वि.प्रा. के रिक्त ई.डब्ल्यू. एस. फ्लैटों में पुनः स्थापन किया जाना चाहिए ।

<u>श्री आदे"ा कुमार गुप्ता</u>

i) बिना पूर्व सूचना दिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए जा रहे डेमोलि"ान प्रोग्राम से आनंद पर्बत के निवासियों का अनाव"यक उत्पीड़न किया जा रहा है ।

ii) 100/200 वर्ग मी. प्लॉटों का समामेलन करने की अनुमति दी ।

iii) दि.वि.प्रा. द्वारा सैक्टर–9, आर.के.पुरम स्थित पुराने मंदिर के गिराने का कार्य निर्धारित किया जा चुका है । ऐसे मामलों को पहले धामिक समिति को भेजा जाना चाहिए ।

माननीय उप–राज्यपाल ने सभी सदस्यों, वि"ोष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया ।

बैठक अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई ।